न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व वाद संख्या 35/2021 अन्तर्गत धारा 88, 188, 207 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
लाखाराम पुत्र रमजुराम के कायम मुकाम 1. बाबुराम पुत्र लाखाराम 2. पोकरराम पुत्र लाखाराम 3. मांगाराम पुत्र लाखाराम 4. नाखा पत्नी लाखाराम जाति मेगवाल, निवासी रामदेवपुरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. रेखाराम पुत्र छोगाराम 2. गिरधारीराम पुत्र छोगाराम 3. भभूताराम पुत्र छोगाराम 4. तमाजीराम पुत्र छोगाराम जाति मेगवंशी, निवासी रामदेवपुरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 5. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादीगण – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग
2. अधिवक्ता प्रतिवादीगण – श्री बृजमोहन कुमावत।
3. वादीगण एवं प्रतिवादीगण मय मौतबिरान्।

—:: निर्णय ::—

दिनांक :– 28.02.2024

वादीगण के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीगण की मौजा रामदेवपुरा, तहसील शिव में खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 324 रकबा 50.06 बीघा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 482/324 रकबा 70.00 बीघा एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 483/324 रकबा 70.00 बीघा आये हुए है। उक्त विवादित आराजी मूल खसरा नम्बर 324 रकबा 190.06 बीघा के विभक्त खसरा नम्बर है। उक्त विवादित आराजी में से बैचान दस्तावेज द्वारा कुल 70.00 बीघा भूमि का बैचान किया गया, जिसके नवीन खसरा नम्बर 324/1 कायम किये गये। तत्पश्चात् तत्कालीन खातेदारान् द्वारा मूल खसरा नम्बर की शेष भूमि 120.06 बीघा में से 70.00 बीघा भूमि का बैचान प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को संयुक्त रूप से किया गया, जिसका नवीन खसरा नम्बर 324/2 कायम किया गया। तत्पश्चात् शेष 50.06 बीघा भूमि का बैचान वादीगण को किया गया। उक्त निष्पादित बैचान दस्तावेजात में अंकित पड़ौस अनुसार खातेदार मौके पर काबिज होकर काबिज काश्त है तथा वादीगण के हिस्से की भूमि में मकान, सभाभवन व टांके आदि बने हुए है। उक्त खातेदारान् को बैचान दस्तावेज अनुसार मौके पर काबिज तो कर दिया गया लेकिन राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा में पृथम तरमीम अंकित नहीं की गई। वर्तमान में डीआईआरएलएमपी योजना के अंतर्गत समस्त पृथक राजस्व खातों का लट्ठा नक्शा में अंकन करने के आदेश पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा तरमीम अंकित की गई। उक्त तरमीम राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना मौका निरीक्षण किये तथा बैचान दस्तावेज में अंकित पडौसियान के विपरीत कर दी गई है, जिसे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा एवं मौके पर कब्जा काश्त में भिन्नता होने से कब्जा काश्त प्रभावित हो रहा है। वर्तमान में उक्त त्रूटिपूर्ण तरमीम के आधार पर प्रतिवादीगण, वादीगण को उनके कब्जा काश्त से बेदखल करने पर आमादा है, जबकि वादीगण बैचान दस्तावेज अनुसार ही मौके पर काबिज काश्त है। अतः उक्त विवादित आराजी में वादीगण द्वारा वर्तमान राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम को निरस्त करवाकर मौका स्थिति की रिपोर्ट एवं बैचान दस्तावेज में अंकित पड़ौसान अनुसार सही तरमीम दुरस्ती की घोषणा करवाने के अधिकारी होने से उक्त वाद घोषणा हेतु पेश किया गया है।

वाद पंजीयन किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद को अस्वीकार किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। चूंकि वाद तरमीम घोषणा का पेश होने तथा पक्षकारान् के मध्य विवाद होने पर तनकीयात कायम की जाकर वादीगण की ओर से पीडब्लयू 1, पीडब्लयू 2 व पीडब्लयू 3 एवं प्रतिवादीगण की ओर से पीडब्लयू 1 व डीडब्लयू 2 के

साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबंदियां, बैचान दस्तावेज व अन्य दस्तोवज पेश किये गये।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा मय मौतबिरान् एवं उभयपक्ष अधिवक्तागण के साथ न्यायालय में हाजिर होकर मौतबिरान् व गांव के मौजिज लोगों द्वारा तथा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर राजीनामा के संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार वादीगण के वाद को स्वीकार करने बाबत् सहमति प्रदान की गई।

वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पक्षकारान् एवं मौतबिरान् द्वारा पेश राजीनामा अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर राजीनामा के संलग्न परिशिष्ट'अ' अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने की घोषणा प्रदान की जाकर डिक्री पर्चा जारी किया जावें। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा वादीगण अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए राजीनामा अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तद्नुसार तरमीम दुरस्ती की घोषणा बाबत् सहमति प्रदान की गई। उपस्थित उभयपक्ष पक्षकारान् एवं मौतबिरान द्वारा भी राजीनामा अनुसार एवं संलग्न परिशिष्ट'अ' अनुसार तरमीम दुरस्ती की घोषणा करने का निवेदन किया गया।

हमने वाद के तथ्यों पर उभयपक्ष अधिवक्तागण एवं पक्षकारान् को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। चूंकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार है एवं वादीगण द्वारा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार एवं बैचान दस्तावेज में खोले गये पड़ौसान अनुसार खातेदारी की तरमीम घोषणा हेतु वाद पेश किया गया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा अपने अपने समर्थन में साक्ष्य पेश किये जाकर बयान कलमबद्ध करवाये गये परन्तु वर्तमान में उभयपक्ष प्रभावित पक्षकारान् के मध्य गांव के मौतबिरान् द्वारा राजीनामा करवा दिये जाने पर उभयपक्ष द्वारा उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर राजीनामा के संलग्न परिशिष्ट'अ' अनुसार तरमीम दुरस्ती की घोषणा का निवेदन किया गया है। अतः उभयपक्ष पक्षकारान् के मध्य राजीनामा हो जाने से विवादित बिन्दू नहीं होने से तनकीयात को सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। उभयपक्ष अधिवक्ता एवं पक्षकारान् द्वारा मय मौतबिरान् न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा अनुसार वाद को स्वीकार किया जाकर राजीनामा के संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्ती की घोषणा बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी में वादीगण के वाद को राजीनामा अनुसार स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद उभयपक्ष पक्षकारान् द्वारा पेश राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर मौजा रामदेवपुरा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 324, 482/324, 483/324 रकबा क्रमशः 50.06, 70.00, 70.00 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त करते हुए उभयपक्ष पक्षकारान् द्वारा राजीनामा के संलग्न पेश परिशिष्ट'अ' अनुसार तरमीम दुरस्ती की घोषणा की जाती है। तहसीलदार शिव को उपरोक्तानुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। राजीनामा के संलग्न पेश परिशिष्ट 'अ' इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner